केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50)

बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–4/निदे0–पी0सी0आर0(विविध)–02–12–13/2015– 168

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार ,
निदेशक ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
पूर्वी चम्पारण(मोतीहारी)।

पटना, दिनांक – 26.03.18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, (संशोधन) अधिनियम–2015 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के अधीन केन्द्रांश में ₹5,00,000/– (पांच लाख रू0) एवं राज्यांश में ₹5,00,000/– (पांच लाख रू0) अर्थात् कुल ₹10,00,000/– (दस लाख रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के तहत विभागीय पत्रांक–57 दिनांक–04.09.2017 द्वारा बजट उपबन्ध के आलोक में केन्द्रांश में ₹12,11,99,000/–(बारह करोड़ ग्यारह लाख निनान्वे हजार रू0) एवं राज्यांश में ₹12,11,99,000/–(बारह करोड़ ग्यारह लाख निनान्वे हजार रू0) अर्थात् कुल ₹24,23,98,000/–(चौबीस करोड़ तेईस लाख अन्ठानवे हजार रू0) मात्र की स्वीकृति दी गई है। इसी क्रम पत्रांक–60 दिनांक–15.09.17 द्वारा केन्द्रांश में ₹5,30,50,000/–(पांच करोड़ तीस लाख पचास हजार रू0) एवं राज्यांश में ₹5,30,50,000/–(पांच करोड़ तीस लाख पचास हजार रू0) अर्थात् कुल ₹10,61,00,000/– (दस करोड़ एकसठ लाख रू0) मात्र, पत्रांक– 77 दिनांक– 30.10.17 द्वारा केन्द्रांश में ₹25,00,000/– (पच्चीस लाख रू0) एवं राज्यांश में ₹25,00,000/–(पच्चीस लाख रू0) अर्थात् कुल ₹50,00,000/– (पचास लाख रू0) पत्रांक–99 दिनांक– 20.11.17 द्वारा केन्द्रांश में ₹40,00,000/– (चालीस लाख रू0) एवं राज्यांश में ₹40,00,000/– (चालीस लाख रू0) अर्थात् कुल ₹80,00,000/– (अस्सी लाख रू0), पत्रांक–106 दिनांक–28.12.17 द्वारा केन्द्रांश में ₹1,40,00,000/–(एक करोड़ चालीस लाख रू0) एवं राज्यांश मे ₹1,40,00,000/–(एक करोड़ चालीस लाख रू0) अर्थात् कुल ₹2,80,00,000/–(दो करोड़ अस्सी लाख रू0), पत्रांक–129 दिनांक– 21.02.18 द्वारा केन्द्रांश में ₹1,10,00,000/– (एक करोड़ दस लाख रू0) एवं राज्यांश में ₹1,10,00,000/– (एक करोड़ दस लाख रू0) अर्थात् कुल ₹2,20,00,000/–(दो करोड़ बीस लाख रू0, पत्रांक–131 दिनांक–22.02.2018 द्वारा केन्द्रांश में ₹27,50,000/– (सताईस लाख पचास हजार रू0) एवं राज्यांश में ₹27,50,000/– (सताईस लाख पचास हजार रू0) अर्थात् कुल ₹55,00,000/– (पचपन लाख रू0), पत्रांक–146 दिनांक–12.03.2018 द्वारा केन्द्रांश में ₹86,35,000/– (छियासी लाख पैतीस लाख रू0) एवं राज्यांश में ₹86,35,000/– (छियासी लाख पैतीस लाख रू0) अर्थात् कुल ₹1,72,70,000/– (एक करोड बहत्तर लाख सत्तर हजार रू0) **तथा** पत्रांक–161 दिनांक–20.03.18 द्वारा केन्द्रांश में ₹65,00,000/– (पैसठ लाख रू0) एवं राज्यांश में ₹65,00,000/– (पैसठ लाख रू0) अर्थात् कुल ₹1,30,00,000/–(एक करोड तीस लाख रू0) मात्र की राशि आवंटित की गई है। तदनुसार जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण(मोतीहारी) के पत्रांक–69/क0 दिनांक–21.03.18 से माँग के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार केन्द्रांश में ₹5,00,000/– (पांच लाख रू0) एवं राज्यांश में ₹5,00,000/– (पांच लाख रू0) अर्थात् कुल ₹10,00,000/–(दस लाख रू0) मात्र की अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

2– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गई राशि की व्यय की विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सरंक्षण कक्ष के लिए पटना जिला को आवंटित राशि का व्यय पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग से प्राप्त आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा।

3– इस राशि से अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम–2015, नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2016 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के धाराओं और नियमों के प्रावधानों के तहत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के पीडित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि अनुसूची और उपबन्ध–1{नियम–12(4)} में राहत राशि के लिए मापदण्ड के साथ–साथ नियम–12(4)(46) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, सामुहिक हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीडितों को पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष अत्याचार की तारीख से मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को प्रति मास की दर से

पेंशन भुगतान किया जाएगा, साथ ही अधिनियम/नियम के तहत पीड़ित/पीड़ता को राहत और पुनर्वास इत्यादि पर व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी। अत्याचार राहत अनुदान की राशि वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–3808 दिनांक–02 जून, 2017 के आलोक में DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

4– राशि की स्वीकृति के तुरंत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और फौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के साथ भेजेंगें। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति प्रधान सचिव, गृह विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

5– **केन्द्रांश** के लिए राशि मांग सं0–44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष–"2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0221–नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम 1989–विषय शीर्ष–0221.33.02–मुआवजा विपत्र कोड सं0–44-2225012770221" पी0एफ0 एम0एस0 कोड 9488 तथा **राज्यांश** के लिए मांग सं0–44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष– "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0321– नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989–विषय शीर्ष–0321.33.02–मुआवजा विपत्र कोड सं0–44-2225012770321 पी0एफ0 एम0एस0 कोड 9488 से विकलनीय है।

6– इन मदों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.4.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

7– इस आवंटन के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक–31–04–2018 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेगें।

8– इस आवंटन की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

विश्वासभाजन ,

(वीरेन्द्र कुमार) 26/3/18
निदेशक ।

ज्ञापांक–4/निदे0पी0सी0आर0(विविध)02–12–13/2015– 168 पटना, दिनांक– 26.03.18

प्रतिलिपि : 1–महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2– प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (क0 व0) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना।

3– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त,/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित उप विकास आयुक्त,/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण,/अवर सचिव, प्रभारी, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/3/18
निदेशक

ज्ञापांक–4/निदे0पी0सी0आर0(विविध)02–12–13/2015– 168 पटना, दिनांक– 26.03.18

प्रतिलिपिः जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण(मोतीहारी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 26/3/18